बिहार सरकार

खान एवं भूतत्व विभाग

सं0सं0–प्र0–1 ल0ख0(ब्रिक) 02 / 18–................... / एम0, पटना, दिनांक–...................

प्रेषक,

संजय कुमार,
सहायक निदेशक (मु0)।

E-mail/Fax

सेवा में,

सभी उप निदेशक
सभी सहायक निदेशक
सभी खनिज विकास पदाधिकारी
सभी खान निरीक्षक।

विषयः– राज्य में संचालित ईंट भट्ठों को दिनांक 31.08.2018 तक स्वच्छतर तकनीक पर आधारित क्लिन में परिवर्तित कराने के संबंध में।

प्रसंगः– बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक 2839 दिनांक 02.07.18

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ईंट भट्ठों से हो रहे वायु प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु पर्षद द्वारा बिहार राज्य में अवस्थित ईंट भट्ठों को दिनांक 31.08.2018 तक स्वच्छतर तकनीक पर आधारित क्लिन में परिवर्तित करा लेना अनिवार्य किया गया है। इस हेतु दिनांक 01.09.2018 से वैसे किसी ईंट भट्ठों को संचालनार्थ सहमति नवीकरण नहीं दिया जायेगा, जो स्वच्छतर तकनीक में परिवर्तित नहीं होंगे एवं पुरानी तकनीक पर आधारित ईंट भट्ठे जिसे किसी भी अवधि के लिए संचालनार्थ सहमति स्वीकृत हो, की वैधता दिनांक 31.08.2018 को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

अतः अपने जिलान्तर्गत ईंट–भट्ठों को दिनांक–31.08.2018 तक स्वच्छतर तकनीक पर आधारित ईंट–भट्ठों में परिवर्तन हेतु सभी ईंट–भट्ठेदारों को सूचित करना सुनिश्चित करवाया जाय एवं प्रतिवेदन विभाग को भेजा जाय।

विश्वासभाजन
ह0 / –
सहायक निदेशक (मु0)

ज्ञापांकः–.....3126..... / एम0 पटना, दिनांक 26/7/18

प्रतिलिपिः–सदस्य सचिव, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद का पत्रांक 2839, दिनांक–02.07.18 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

निर्गत
2517

26/7/18

सहायक निदेशक (मु0)

D/Sanjay/Anilji/Brick list Draft